CDO मकाम (बुहाना)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनं(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

GCMS NO.- 2012/00064

राजस्व वाद संख्या :– 160/2012

1. नित्यानंद पुत्र औंकार जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
2. गिन्दोड़ी पत्नी पोकरराम जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना हाल आबाद धिंगड़िया तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.) **(फौत)**
3. रामावतार पुत्र पोकरराम जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना हाल आबाद धिंगड़िया तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
4. सुभाष पुत्र पोकरराम जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना हाल आबाद धिंगड़िया तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
5. रतन पुत्र पोकरराम जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना हाल आबाद धिंगड़िया तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
6. गीता देवी पत्नी कंवर सिंह जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना हाल आबाद धिंगड़िया तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
7. यशपाल पुत्र कंवर सिंह नवीरा पोकरराम जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना हाल आबाद धिंगड़िया तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
8. मिश्री देवी पत्नी भूराराम जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.) **(फौत)**
9. विधानन्द पुत्र भूराराम जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
10. शिशराम पुत्र भूराराम जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
11. घीसाराम पुत्र भूराराम जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
12. जयराम पुत्र नरसिंह जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना. जिला झुन्झुनूं (राज.) **(फौत)**

12/1. भगवाना पुत्र जयराम,
12/2. जगदीश पुत्र जयराम,
12/3. चमेली पुत्री जयराम,
12/4. संतरा पुत्री जयराम, समस्त जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

................वादीगण

बनाम

1. गिन्दोड़ी पत्नी नेतराम जाति अहीर निवासी नांगलकाठा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)
2. फूलसिंह पुत्र नेतराम जाति अहीर निवासी नांगलकाठा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)
3. माडूराम पुत्र नेतराम जाति अहीर निवासी नांगलकाठा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)
4. जगदीश पुत्र नेतराम जाति अहीर निवासी नांगलकाठा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)
5. रामजीलाल पुत्र नेतराम जाति अहीर निवासी नांगलकाठा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)
6. महेन्द्र पुत्र नेतराम जाति अहीर निवासी नांगलकाठा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)
7. मणी पुत्री नेतराम जाति अहीर निवासी नांगलकाठा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)
8. लाली पुत्री नेतराम जाति अहीर निवासी नांगलकाठा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

9. धुमा देवी पत्नी लालजी जाति अहीर निवासी नांगलकाठा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)
10. सांवत सिंह पुत्र लालजी जाति अहीर निवासी नांगलकाठा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)
11. ईश्वर सिंह पुत्र लालजी जाति अहीर निवासी नांगलकाठा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)
12. रणवीर सिंह पुत्र लालजी जाति अहीर निवासी नांगलकाठा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)
13. कौशल्या पुत्री लालजी जाति अहीर निवासी नांगलकाठा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)
14. रेशमी पुत्री लालजी जाति अहीर निवासी नांगलकाठा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)
15. भतेरी पुत्री लालजी जाति अहीर निवासी नांगलकाठा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)
16. कृष्णा पुत्री लालजी जाति अहीर निवासी नांगलकाठा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)
17. माया पुत्री लालजी जाति अहीर निवासी नांगलकाठा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)
18. राजेश पुत्री लालजी जाति अहीर निवासी नांगलकाठा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)
19. गंगा सिंह पुत्र रोतान सिंह जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
20. ओमपाल सिंह पुत्र रोतान सिंह जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
21. भोरा देवी पत्नी रोतान सिंह जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
22. मोहर सिंह पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना हाल आबाद शिव कॉलोनी नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरि.)
23. मनोहरी पत्नी विजय सिंह जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
24. मनोज पुत्र विजय सिंह नवीरा सरजीत सिंह जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
25. कलावती पत्नी सरजीत सिंह जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं ।
26. महावीर सिंह पुत्र किशोरी लाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
27. महासिंह पुत्र किशोरी लाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
28. सन्तलाल पुत्र किशोरी लाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
29. मनीराम पुत्र पोकर जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
30. सन्तरा पत्नी जगमाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
31. सुरेन्द्र पुत्र जगमाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
32. सत्येन्द्र पुत्र जगमाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
33. मनोज पुत्री जगमाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
34. सनोज पुत्री जगमाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
35. माना देवी पत्नी बृजलाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
36. रामदयाल पुत्र बृजलाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
37. रामनिवास पुत्र बृजलाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
38. रामपाल पुत्र बृजलाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
39. रामकलां पुत्री बृजलाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
40. रमेश पुत्र बृजलाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
41. भगवानी पुत्री बृजलाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
42. रामनाथ पुत्र प्रभुदयाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
43. इमरती पत्नी प्रभुदयाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

44. अतरसिंह पुत्र प्रभुदयाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
45. वीरसिंह पुत्र प्रभुदयाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
46. अशोक कुमार पुत्र प्रभुदयाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
47. गौरां पुत्री प्रभुदयाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
48. किरण पुत्री प्रभुदयाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
49. सुमन पुत्री प्रभुदयाल जाति अहीर निवासी श्योपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
50. शांति पत्नी श्योनारायण सिंह (श्योरामसिंह) जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
51. उगम सिंह पुत्र श्योनारायण सिंह (श्योरामसिंह) जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
52. लाडो पुत्री श्योनारायण सिंह (श्योरामसिंह) जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
53. उगलेश पुत्री श्योनारायण सिंह (श्योरामसिंह)
54. लाली पुत्री श्योनारायण सिंह (श्योरामसिंह)
55. सुनीता पत्नी वेदप्रकाश जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
56. मंजीत सिंह पुत्र वेदप्रकाश जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
57. विकास सिंह पुत्र वेदप्रकाश नवीरा श्योनारायण सिंह (श्योरामसिंह) जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
58. विमला पत्नी नौरंग सिंह जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
59. मुकेश बाई पुत्री नौरंग सिंह जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
60. सुमन पुत्री नौरंग सिंह जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
61. मुनेश पुत्री नौरंग सिंह जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
62. आशा पुत्री नौरंग सिंह जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
63. सन्जु पुत्री नौरंग सिंह जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
64. अन्नु पुत्री नौरंग सिंह जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
65. सोनू पुत्री नौरंग सिंह जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
66. बाला देवी पत्नी राजपाल जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
67. दीपांशु सिंह पुत्र राजपाल सिंह नवीरा नौरंग सिंह जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
68. सरीता पुत्री राजपाल जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
69. गोकल सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति राजपूत निवासी काकड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
70. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना।

.................प्रतिवादीगण

दावा – घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति –

1. श्री राजेश यादव, अधिवक्ता [illegible]
2. श्री महेश सांख्ला – प्रतिवादी संख्या 11 [illegible]
3. शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध [illegible] गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक: 24/7/24

वादीगण की ओर से वाद पत्र रहा कि :–

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

1. वाके ग्राम काकड़ा पुरानी तहसील खेतड़ी व वर्तमान तहसील बुहाना स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 134/2 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 186 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 253 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 160 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 170 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 183 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 245 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 163 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 135 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा भूमि के खातेदार रोतान सिंह, सरजीत सिंह, बाघ सिंह, जसवंत सिंह पुत्रान बन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी काकड़ा बहिस्सा बराबर–बराबर थे। मौके पर उक्त खोतेदारों ने पारिवारिक समझौता के तहत बाहमी बंटवारा कर रखा था। गत खसरा नम्बर 170 में से 3 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 के हकपूर्वाधिकारी नेतराम, लालजी व मातादीन ने खरीद कर ली, जिसके बाद में राजस्व कर्मचारीयों ने गत खसरा नम्बर 170/1 कायम किया तथा शेष रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा के 170/2 दर्ज किए।
2. यह कि वादी संख्या 1 के हकपूर्वाधिकारी औंकार वादी संख्या 2 लगायत 7 के हकपूर्वाधिकारी पौकरराम, वादी संख्या 8 लगायत 11 के हकपूर्वाधिकारी भूराराम एवं वादी संख्या 12 जयराम ने भूमि गत खसरा नम्बर 170 में से 4 बीघा $2^1/_2$ बिस्वा भूमि इसके खातेदार सरजीत व गंगासिंह से जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 01.07.1975 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, जो आज तक निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक सभी की जानकारी में वादीगण के कब्जा में है।
3. यह कि वादीगण के द्वारा खरीद की गई भूमि गत खसरा नम्बर 170 जिसके गत खसरा नम्बर 170/2 दर्ज किए गए थे, की खातेदारी वादीगण के नाम जरिए नामान्तकरण संख्या 166 के द्वारा दर्ज हो गई थी। इसी दौरान इस क्षेत्र में बंदोबस्त की कार्यवाही चल रही थी।
4. यह कि बंदोबस्त ने भूमि गत खसरा नम्बर 170 के नये खसरा नम्बर 528 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 530 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 531 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 532 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 533 रकबा 0.58 हैक्टेयर निर्मित किए तथा करीब 0.08 हैक्टेयर रकबा हाल खसरा नम्बर 527 में शामिल कर दिया जो प्रतिवादी संख्या 26 लगायत 69 के नाम दर्ज है। क्योंकि 9 बीघा 10 बिस्वा का हैक्टेयर में रकबा 2.40 हैक्टेयर बनता है, जबकि गत खसरा नम्बर 169 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा का हैक्टेयर में रकबा 1.55 हैक्टेयर बनता है जो रिकार्ड में 1.75 हैक्टेयर दर्ज है।
5. यह कि बन्दोबस्त के बाद बने रिकार्ड में वादीगण का नाम भूमि खसरा नम्बर 528, 530, 531, 532, 533 की खातेदारी से बंदोबस्त ने वादीगण का नाम बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय अथवा डिक्री व आदेश के हटा दिया जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं था। बंदोबस्त द्वारा की गई त्रुटी वादीगण के हक एवं अधिकारों पर प्रभावहीन एवं शुन्य है तथा भूमि गत खसरा नम्बर 170 का 0.08 हैक्टेयर रकबा हाल खसरा नम्बर 527 में शामिल कर दिया एवं उसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 26 लगायत 69 के नाम दर्ज कर दी जिसका भी बंदोबस्त विभाग को कोई हक व अधिकार नहीं था।
6. यह कि वादपत्र के खण्ड नम्बर 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 170 के अलावा शेष भूमि के हाल खसरा नम्बर 343, 344, 345, 477, 478, 479, 480, 481, 507, 402, 414, 469, 470, 471, 341, 342, 384, 389 एवं 390 निर्मित किए। वादपत्र के खण्ड नम्बर 1 में वर्णित समस्त भूमि का उनके खातेदार रोतान सिंह, सरजीत सिंह, बाघ सिंह, जसवंत सिंह ने बाहमी बंटवारा कर रखा था एवं उसी बंटवारे के अनुसार उन्होंने अलग–अलग लोगों को भूमि बेचान की थी। इस प्रकार उक्त खातेदार एवं उनके वारीस अपने किए गए बेचान से पाबंद हैं।
7. यह कि भूमि गत खसरा नम्बर 170 में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 के हकपूर्वाधिकारी नेतराम व लालजी उनके भाई मातादीन ने केवल 3 बीघा भूमि खरीद की थी। मातादीन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 में 1/2, प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 12 के हिस्से में 1/2 भाग दर्ज हो चुकी है। क्योंकि मातादीन के वारीसान ने उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार उन्हें दे दिया।

8. यह कि भूमि गत खसरा नम्बर 170 में से 4 बीघा $2^1/_2$बिस्वा अर्थात 1.05 हैक्टेयर रकबा वादीगण ने जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 01.07.1975 को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। इस भूमि की खातेदारी में दर्ज अन्य व्यक्तियों प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 25 एवं इनके हकपूर्वाधिकारी के विरूद्ध वादीगण का कब्जा उनकी इच्छा के विपरीत सभी की जानकारी में बतौर खातेदार खुल्ले रूप में बिना किसी बाधा के निरन्तर चला आ रहा है। इस भूमि में वादीगण ने एक कूप बना रखा है, जिसमें विधुत संयोजन भी लगा रखा है। यह कूप बन्दोबस्त पूर्व ही वादीगण ने बना लिया था। बन्दोबस्त विभाग द्वारा इसके खसरा नम्बर 530 निर्मित किए गए। इस कूप से वादीगण अपनी भूमि की सिंचाई करते आ रहे हैं। इस प्रकार वादीगण इस भूमि के प्रतिकूल कब्जा के आधार पर भी खातेदार बन चुके हैं, लेकिन इस भूमि की खातेदारी खसरा नम्बर 528, 530, 531 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 के नाम व खसरा नम्बर 532, 533 प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 25 के नाम गलत रूप से दर्ज चली आ रही है।

9. यह कि वाद वर्णित भूमि गत खसरा नम्बर 170 में हाल खसरा नम्बर 528 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 530 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 531 रकबा 0.36 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के हकपूर्वाधिकारी नेतराम, प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 18 के हकपूर्वाधिकारी लालजी व उनके भाई मातादीन ने केवल 3 बीघा भूमि खरीद की थी। वर्तमान में उनके कब्जे में है। हाल खसरा नम्बर 528 का रकबा 0.67 हैक्टेयर है तथा 0.08 हैक्टेयर रकबा 527 पर उनका कब्जा है। कुल 0.75 हैक्टेयर है, लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने इस सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी की पुत्री चम्पा ने सम्पूर्ण भूमि में अपना 1/3 हिस्सा बताते हुए 1/3 में से 1/2 अर्थात 1/6 भाग की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 तथा शेष 1/2 भाग की भूमि प्रतिवादी संख्या 10 लगातय 12 के नाम करवादी जबकि मातादीन या सकी पुत्री चम्पा का इस भूमि में केवल 1 बीघा अर्थात 0.25 हैक्टेयर रकबा ही था, वही रकबा वह उक्त प्रतिवादीगण को दे सकती थी, उससे अधिक का हस्तानान्तरण वादीगण के हक व अधिकारों पर प्रभावहीन एवं कानून की नजर में शुन्य है। इस भूमि में वादीगण का 0.39 रकबा है, जिस पर कब्जा भी वादीगण का है एवं कूप बना कर विधुत संयोजन ले रखा है।

10. यह कि भूमि खसरा नम्बर 527 में से 0.08 हैक्टेयर रकबा व खसरा नम्बर 528, 530, 531 किता 3 रकबा 1.14 हैक्टेयर, कुल रकबा 1.22 हैक्टेयर में 0.75 हैक्टेयर रकबा में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/24, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/24, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/24 तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 3/40, प्रतिवादी संख्या 3 का 3/40, प्रतिवादी संख्या 4 का 3/40, प्रतिवादी संख्या 5 का 3/40, प्रतिवादी संख्या 6 का 3/40 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 9 का 1/30 व प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 18 का 6/30 एवं प्रतिवादी संख्या 10 का 4/45, प्रतिवादी संख्या 11 का 4/45, प्रतिवादी [illegible] का 4/45 हिस्सा है तथा 2 लगायत 5 का 4/20, वादी संख्या 6 व 7 का [illegible]20, [illegible] संख्या 8 लगायत 11 का 1/4, वादी संख्या 12 का 1/4 हिस्सा है।

11. यह कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 532, 53[illegible]2 रकबा 1.18 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 22 का 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्या 1 का 1/8, वादी संख्या 2 लगायत 5 का 4/40, वादी संख्या 6 व 7 का 1/40, वादी संख्या 8 लगायत 11 का 1/8 तथा वादी संख्या 12 का 1/8 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 21 एवं 23 लगायत 25 का इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है, उनका नाम इस भूमि की खातेदारी में गलत दर्ज है जो दुरूस्ति योग्य है।

12. यह कि बन्दोबस्त विभाग ने हाल खसरा नम्बर 527 की भूमि में 0.08 हैक्टेयर रकबा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश या डिक्री के गत खसरा नम्बर 170 का शामिल कर दिया, जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं था तथा गत खसरा नम्बर 170 से बने हाल खसरा नम्बर 528, 530, 531, 532, व 533 का खाता भी बिना किसी अधिकार के विभाजित कर दिया, जिसका भी बन्दोबस्त विभाग को कोई हक व अधिकारी नहीं था, इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग द्वारा की गई त्रुटि दुरूस्ति योग्य है।

13. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वादीगण द्वारा भूमि गत खसरा नम्बर 170 में से 4 बीघा $2^1/_2$ बिस्वा अर्थात 1.05 हैक्टेयर रकबा खरीद करने बन्दोबस्त विभाग द्वारा वादीगण का नाम इसमें से हटा देने एवं भूमि खसरा नम्बर 170 का बन्दोबस्त विभाग द्वारा 0.08 हैक्टेयर रकबा हाल खसरा नम्बर 527 में शामिल कर उसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 26 व 69 के नाम दर्ज कर देने से पैदा हुआ है। अत दावा अंदर मियाद है। अंत में वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलबी जारी की गई, जिस पर प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 11 के अलावा शेष बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीए कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 11 ने जवाब पेश कर दावा के तथ्यों को अस्वीकार किया एवं उन्होने कथन किया कि उन्होने जो भूमि खरीद की थी, उसी पर वे काबिज हैं तथा यह भी कथन किया कि हाल खसरा नम्बर 528 रकबा 0.75 हैक्टेयर पर उनका निरन्तर बिना किसी बाधा के कब्जा है एवं दावा बिना वाद हैतुक का होने से खारीज किए जाने का निवेदन किया। दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर कुल 5 तनकीयात कायम की गई।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.ड.–1 नित्यानंद, पी.ड.–2 घीसाराम, पी.ड.–3 तानसिंह, पी.ड.–4 भगवाना को प्रस्तुत किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा सन् 1938–39 प्रदर्श–1, नक्शा सन् 1979–80 प्रदर्श–2 तथा बंदोबस्त बाद की जमाबंदिया प्रदर्श–3 लगायत प्रदर्श–32, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–33, 34, 35, बंदोबस्त पूर्व की जमाबंदी प्रदर्श–36, 39 एवं 41, नामांतकरण संख्या 166 प्रदर्श–37, नामांतकरण संख्या 58 प्रदर्श 38 एवं विक्रय पत्र दिनांक 01.07.1975 प्रदर्श–40ए को प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण की और से कोई साक्ष्य पेश नहीं किए जाने पर दिनांक 30.09.2019 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड व मौखिक साक्ष्य का ससम्मान अध्ययन किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की और से श्री महेश सांखला उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 69 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 27.08.2012 को अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.06.2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 23 दिनांक 09.01.2023 द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2929 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया। किसी ने एतराज पेश नही किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:44 IST
Reason: SelfAttested

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई एतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम काकड़ा स्थित भूमि हाल खाता संख्या 45, 51, 151 में वादी के दर्ज हिस्से व तहसीलदार से प्राप्त कुर्रे अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–: आदेश :–

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम काकड़ा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 532 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 533 रकबा 0.58 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 है0, खाता सं0 51 के खसरा नम्बर 528 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 530 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 531 रकबा 0.36 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.14 हैक्टेयर तथा खाता सं0 151 के खसरा नम्बर 527 रकबा 1.75 हैक्टर भूमि में से 0.08 हैक्टेयर कुल 2.40 हैक्टेयर में से 1.05 हैक्टेयर रकबा का वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 लगायत 5 को 4/20 व वादी संख्या 6 एवं 7 को 1/20, वादी संख्या 8 लगायत 11 को 1/4 तथा वादी संख्या 12/1 लगायत 12/4 को 1/4 हिस्सा के खातेदार घोषित किए जाते हैं तथा 0.75 हैक्टेयर रकबा में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/24 प्रतिवादी संख्या 2 को 3/40, प्रतिवादी संख्या 3 को 3/40, प्रतिवदी संख्या 4 को 3/40, प्रतिवादी संख्या 6 को 3/40, तथा प्रतिवादी संख्या 5 को 3/40, प्रतिवादी संख्या 6 को 3/40, प्रतिवादी संख्या 7 को 1/24, प्रतिवादी संख्या 8 को 1/24, प्रतिवादी संख्या 9 को 1/30, प्रतिवादी संख्या 10 को 4/45, प्रतिवादी संख्या 11 को 4/45, प्रतिवादी संख्या 12 को 4/45, प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 18 को 6/30 तथा प्रतिवादी संख्या 22 को 0.60 हैक्टेयर का खातेदार दर्ज कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिनांक 10.06.2022 को प्राथमिक डिक्री कर दिया गया था। तथा वादीगण के 1.05 हैक्टेयर रकबा का खाता भी अलग से विभाजित किए जाने का आदेश दिया जाकर भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 23 दिनांक 04.04.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2929 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।''

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:44 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 24/7/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकित कर खुल्ले कोर्ट मे सुनाया गया है।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनं(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– हेमन्त कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 160/2012 GCMS NO.- 2012/00064

नित्यानंद आदि बनाम गिन्दोड़ी आदि

दावा – घोषणात्मक,रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से श्री **राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं श्री **महेश सांखला,** अधिवक्ता–प्रति. सं. 11 की उपस्थित इस वाद को **हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि –

" न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम काकड़ा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 532 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 533 रकबा 0.58 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 है0, खाता सं0 51 के खसरा नम्बर 528 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 530 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 531 रकबा 0.36 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.14 हैक्टेयर तथा खाता सं0 151 के खसरा नम्बर 527 रकबा 1.75 हैक्टर भूमि में से 0.08 हैक्टेयर कुल 2.40 हैक्टेयर में से 1.05 हैक्टेयर रकबा का वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 लगायत 5 को 4/20 व वादी संख्या 6 एवं 7 को 1/20, वादी संख्या 8 लगायत 11 को 1/4 तथा वादी संख्या 12/1 लगायत 12/4 को 1/4 हिस्सा के खातेदार घोषित किए जाते हैं तथा 0.75 हैक्टेयर रकबा में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/24 प्रतिवादी संख्या 2 को 3/40, प्रतिवादी संख्या 3 को 3/40, प्रतिवदी संख्या 4 को 3/40, प्रतिवादी संख्या 6 को 3/40, तथा प्रतिवादी संख्या 5 को 3/40, प्रतिवादी संख्या 6 को 3/40, प्रतिवादी संख्या 7 को 1/24, प्रतिवादी संख्या 8 को 1/24, प्रतिवादी संख्या 9 को 1/30, प्रतिवादी संख्या 10 को 4/45, प्रतिवादी संख्या 11 को 4/45, प्रतिवादी संख्या 12 को 4/45, प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 18 को 6/30 तथा प्रतिवादी संख्या 22 को 0.60 हैक्टेयर का खातेदार दर्ज कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिनांक 10.06.2022 को प्राथमिक डिक्री कर दिया गया था। तथा वादीगण के 1.05 हैक्टेयर रकबा का खाता भी अलग से विभाजित किए जाने का आदेश दिया जाकर भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 23 दिनांक 04.04.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2929 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव [illegible] प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डि[illegible] जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्र[illegible] व नक्शा प्रदर्श "ब" के [illegible] अलग–अलग कायम किये जाने अलग–अलग खाता कायम कि[illegible] लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "'अ[illegible] लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 24/7/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:44 IST
Reason: SelfAttested